

छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत उत्खनन योजना/उत्खनन स्कीम/
पूर्वक्षण रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना/माईन क्लोजर प्लान
बनाने हेतु मान्यता प्राप्त करने बाबत आवेदन का प्रारूप।

1. नाम
2. पिता का नाम
3. फोटोयुक्त आई.डी
4. पत्राचार हेतु पता
5. ई-मेल आई.डी.
6. दूरभाष/मोबाईल नं.
7. शैक्षणिक आर्हता
8. अनुभव
9. संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेजों की सूची.

आवेदक का स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो
बद्ध करें।

दो अतिरिक्त पासपोर्ट
साईज फोटो भी संलग्न
करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा //

मैं पिता श्री
यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिया गया विवरण मेरे ज्ञान तथा विश्वास से
सही तथा सत्य है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

// कार्यालयीन उपयोग हेतु //

1. शैक्षणिक आर्हता के सत्यापन हेतु अंकसूची तथा अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति के
साथ दिनांक अपरान्ह 11:00 बजे संचालनालय भौमिकी एवं
खनिकर्म, रायपुर में उपस्थित होने का कष्ट करे।

आवेदन में उल्लेखित किसी भी जानकारी में बदलाव की स्थिति पर तत्काल ही
इस कार्यालय को लिखित में सूचित करे। जिससे विभागीय वेबसाईट में नवीनतम
जानकारी उपलब्ध करवाया जा सके।

संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म
छत्तीसगढ़




संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़

(छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अंतर्गत)

उत्खनन योजना/उत्खनन स्कीम/पर्यावरण प्रबंधन योजना/माईन क्लोजर प्लान बनाने हेतु
मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

मान्यता प्रमाण पत्र



श्री पिता पता
..... को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के
अंतर्गत उत्खनन योजना/ उत्खनन स्कीम/पर्यावरण प्रबंधन योजना/माईन क्लोजर प्लान
तैयार करने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीयन क्रमांक RQP/DGMCG/ /2015
अन्तर्गत मान्यता प्रदान की जाती है।

यह मान्यता दिनांक तक के लिये वैध रहेगा।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर

रायपुर, दिनांक

संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म
रायपुर, छत्तीसगढ़